

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग



क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82


जयपुर, दिनांक : 10 AUG 2018

-: अधिसूचना :-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 75/2002 दिनांक 21.08.2002 के क्रियान्वयन में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा व राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को कार्यालय एवं आवास पर निःशुल्क टेलीफोन कॉल्स की सुविधा के संबंध में पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प.5(31) साप्र/3/82 दिनांक 12.09.2005 के स्थान पर न्यायिक अधिकारियों के निवास पर दूरभाष सुविधा राज्य सरकार के अधिकारियों के समान उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.5(31)साप्र/3/82 दिनांक 14.08.2013 के अनुरूप निम्नानुसार टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	पदनाम/वर्ग	वर्तमान निःशुल्क कॉल्स सीमा		सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 14.08.13 के अनुसार निवास पर देय राशि
		कार्यालय	निवास	
1	जिला एवं सेशन जज या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	3000 द्विमासिक	2000 द्विमासिक	5250/- रु प्रतिमाह
2	अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज या समकक्ष अधिकारी एवं वरिष्ठ सिविल जज एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	2000 द्विमासिक	1000 द्विमासिक	3750/- रु प्रतिमाह
3	वरिष्ठ सिविल जज एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी एवं सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एसटीडी सुविधा सहित)	1500 द्विमासिक	750 द्विमासिक	2625/- रु प्रतिमाह

उक्त अधिसूचना पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013 एवं उसके संदर्भ में समय समय पर जारी आज्ञा/आदेश/संशोधन इत्यादि में उल्लेखित शर्तें लागू रहेंगी। यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. सं० 101800784 दिनांक 12.02.2018 एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 115/2018 दिनांक 12.07.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव